डीजी परिपत्र संख्याः 44/2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांकः अगस्त 7 ,2018

विषयः क्रिमिनल अपील संख्या–1375–1376/2013 एशियन रिजरफेसिंग आफ रोड एजेन्सी प्रा0लि0 व अन्य बनाम सी0बी0आई0 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त रिट याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.03.2018 में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि मा0 उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित अपराधिक/सिविल मामलों की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु यदि कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है तो वह स्थगन आदेश 06 माह पश्चात् स्वतः निष्प्रभावी हो जाएंगे जब तक कि मा0 न्यायालय के मुखरित आदेश द्वारा उसे और आगे के लिए प्रभावी न बनाया जाय।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सन्दर्भित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"Even where such challenge is entertained and stay is granted, the matter must be decided on day-to-day basis so that stay does not operate for an unduly long period. Though no mandatory time limit may be fixed, the decision may not exceed two-three months normally. If it remains pending longer, duration of stay should not exceed six months, unless extension is granted by a specific speaking order, as already indicated. Mandate of speedy justice applies to the PC Act cases as well as other cases where at trial stage proceedings are stayed by the higher court i.e. the High Court or a court below the High Court, as the case may be. In all pending matters before the High Courts or other courts relating to PC Act or all other civil or criminal cases, where stay of proceedings in a pending trial is operating, stay will automatically lapse after six months from today unless extended by a speaking order on above parameters. Same course may also be adopted by civil and criminal appellate/revisional courts under the jurisdiction of the High Courts. The trial courts may, on expiry of above period, resume the proceedings without waiting for any other intimation unless express order extending stay is produced."

अतः सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि जो भी प्रकरण 06 माह से अधिक समय से मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयों के स्थगन आदेश के कारण लम्बित चल रहे हैं, उन सभी मामलों में स्थगन आदेश को समाप्त मानते हुये अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। कोई भी प्रकरण 06 माह से पूर्व के स्थगन आदेशों के आधार पर लम्बित न रखा जाये।

भवदीय,

7.8.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
(नाम से)

उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner